

प्रेषक,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
हरदोई।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद,

**विषय: माननीय न्यायमूर्ति सैय्यद आफताब हुसैन रिजवी द्वारा किये गये वर्ष 2020-2021 के Overall Assessment के सम्बन्ध में।**

---

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी जनपद हरदोई में दिनांक 07.08.2018 से कार्यरत है। जनपद हरदोई में पदभार ग्रहण करते समय श्री चन्द्र मौलि शुक्ला जी तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश थे, जो दिनांक 28.02.2019 को सेवा निवृत्त हुये। उनकी सेवा निवृत्ति के उपरान्त दिनांक 09.03.2019 को माननीय न्यायमूर्ति महोदय सैय्यद आफताब हुसैन रिजवी बतौर माननीय जनपद न्यायाधीश जनपद हरदोई में पदभार ग्रहण किये। बतौर माननीय जनपद न्यायाधीश, जनपद बलिया में स्थानान्तरित होने तक अर्थात् दिनांक 10.11.2020 तक माननीय न्यायमूर्ति महोदय तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश हरदोई के पद पर कार्यरत रहे, जिनके मार्गदर्शन व दिशा निर्देश के अध्यक्षीन रहते हुये प्रार्थी ने बतौर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनांक 15.04.2019 तक एवं दिनांक 16.04.2019 से 01.08.2019 तक बतौर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदोई और दिनांक 01.08.2019 से 22.08.2019 तक बतौर ए० सी० जे० एम० प्रथम व प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड हरदोई एवं तत्पश्चात् दिनांक 24.08.2019 से लेकर उनके बतौर माननीय जनपद न्यायाधीश बलिया स्थानान्तरण होने तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य किया है। प्रार्थी आज भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदोई के पद पर कार्यरत है।

महोदय वर्ष 2018-2019 से कार्यकाल के दौरान तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश (सेवा निवृत्त) श्री चन्द्र मौलि शुक्ला जी के द्वारा कोई वार्षिक प्रविष्टि नहीं दी गई, जिसके कारण तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश एवं वर्तमान माननीय न्यायमूर्ति महोदय सैय्यद आफताब हुसैन रिजवी के द्वारा प्रार्थी का Overall Assessment करते हुये वार्षिक प्रविष्टि में "Good" अंकित किया गया।

महोदय वर्ष 2019-2020 के कार्यकाल में प्रार्थी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रहने के साथ साथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम हरदोई एवं प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड हरदोई का कार्य भी किया है। तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश और अब माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा उक्त अवधि में अर्थात् 2019-2020 के लिये Overall Assessment करते हुये वार्षिक प्रविष्टि में पुनः "Good" अंकित किया गया। यद्यपि इस अंकन को जनपद हरदोई के तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय तथा वर्तमान माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय, माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा उच्चकृत करते हुये "Very Good" कर दिया गया। सुलभ सन्दर्भ के लिये उक्त की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने इस निमित्त कोई प्रत्यावेदन नहीं किया था।

महोदय वर्ष 2020-2021 में प्रार्थी माननीय न्यायमूर्ति महोदय के बतौर माननीय जनपद

न्यायाधीश बलिया स्थानान्तरित होने तक अर्थात् दिनांक 10.11.2020 तक उनके साथ बतौर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदोई कार्यरत रहा। उल्लेखनीय है कि इस अवधि में न्यायालय का कार्य कोविड-19 के कारण अत्यन्त प्रभावित रहा। प्रार्थी ने इस अवधि में माननीय जनपद न्यायाधीश (तत्कालीन) के समस्त दिशा निर्देशों का न सिर्फ अक्षरशः पालन किया है, अपितु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पदीय दायित्वों का निर्वहन भी किया है। माननीय सैय्यद आफताब हुसैन रिजवी के जनपद बलिया स्थानान्तरण होने के कारण श्री राघवेन्द्र जी के द्वारा तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश हरदोई का पदभार ग्रहण किया गया, किन्तु प्रार्थी को उनके साथ 90 दिन कार्य करने का अवसर प्राप्त होता, उसके पूर्व ही तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश श्री राघवेन्द्र जी का स्थानान्तरण बतौर माननीय जनपद न्यायाधीश, जनपद मुरादाबाद हो गया, जिसके कारण माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा प्रार्थी का Overall Assessment किया गया है।

महोदय यहां यह उल्लेखनीय है कि माननीय महोदय के जनपद बलिया स्थानान्तरण होने तक कोविड-19 के प्रभाव के कारण जनपद हरदोई में सिर्फ सीमित कार्य ही होते रहे। फिर भी प्रार्थी द्वारा पूरी दक्षता से न सिर्फ प्रशासनिक कार्य किया गया, अपितु प्रार्थी द्वारा वर्ष 2020-2021 में अपेक्षित यूनिट से अधिक कार्य भी किया गया, जो कि अभिलेख का विषय है एवं माननीय न्यायालय के e-Services for Judicial officers पोर्टल पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी के Overall Assessment के बिन्दु संख्या-15 का अवलोकन किया जाना सादर प्रार्थनीय है।

महोदय जब माननीय न्यायमूर्ति सैय्यद आफताब हुसैन रिजवी प्रार्थी के साथ तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश, हरदोई के रूप में कार्यरत रहे, तब उनके द्वारा दो लगातार वर्षों 2018-2019 एवं 2019-2020 में प्रार्थी का Overall Assessment करते हुये "Good" अंकित किया गया, जिसमें से एक को 2019-2020 में बिना किसी प्रत्यावेदन के "Very Good" भी कर दिया गया, तो स्पष्ट है कि जब प्रार्थी माननीय न्यायमूर्ति महोदय के साथ सम्पूर्ण अवधि तक कार्यरत ही नहीं रहा है, तो माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा किया गया यह Overall Assessment पूरी तरह अभिलेखों के विपरीत है और स्थिर रहने योग्य नहीं है।

महोदय विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार के Overall Assessment के बने रहने से प्रार्थी को अपूर्ण क्षति होगी। इसलिये माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा प्रार्थी के Overall Assessment में अंकित "Average" को उन्नयन (Upgrade) करना न्यायहित में आवश्यक है।

यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि Remark Column में माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा Nil लिखा गया है, अर्थात् कोई कारण अंकित ही नहीं किया गया है और Overall Assessment में "Average" अंकित कर दिया गया है, जो कि उन्नयन (Upgrade) होने योग्य है।

अतः माननीय महोदय से करबद्ध निवेदन है कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा अपने Overall Assessment में किये गये "Average" के अंकन को उन्नयन (Upgrade) करने हेतु दिये गये प्रार्थी के प्रत्यावेदन को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करे।

सादर।

निवेदक,

दिनांक: 19.05.2022

(संजय कुमार गोंड)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

हरदोई।

संलग्नक:-

यथोपरि।